न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –	55/2020 अपील/प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00058)
पंजीयन दिनांक–	27.07.2020
निर्णय दिनांक–	05.11.2020

1. श्री सलीम शाह पिता स्वं. सुबराती शाह फकीर मुसलमान, निवासी अरनोद, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती गुलशन बी पत्नि सलीम शाह फकीर मुसलमान, निवासी अरनोद, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.................अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री साबीर पिता मोहम्मद हुसैन शाह फकीर मुसलमान, निवासी मदारपुरा मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री महेश भट्ट	:	अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री भुपेन्द्र कोठारी	:	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1
राजकीय अभिभाषक	:	रेस्पोडेंटस संख्या–2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध तहसीलदार अरनोद के प्रकरण संख्या 01/2019
निर्णय दिनांक 12.03.2020

निर्णय

दिनांक–05.11.2020

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, अरनोद, जिला प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2019 निर्णय दिनांक 12.03.2020 के विरूद्ध दिनांक

17.03.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 389 सी.आर.पी.सी के साथ अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ को पेश की गई, तद्नुसार अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय दिनांक 15.07.2020 के अनुसार उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय को होने से दिनांक 27.07.2020 को इस न्यायालय में अपील पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार, अरनोद, जिला प्रातपगढ़ में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकथित किया कि प्रार्थी के पिता सुबराती शाह पिता छोटे शाह निवासी अरनोद के खाते की स्वअर्जित आराजीयात खसरा नम्बरान भूमियां नवीन खाता संख्या 822 में निम्न प्रकार स्थित हैः–

आराजी नम्बर	रकबा
1191	0.54
1196	0.91
1198	0.56
1199	0.31
1227	0.06
1381	0.02
1382	2.09
7	4.49

अपीलांट ने यह भी प्रकथित किया कि उसके पिता ने अपने जीवनकाल में एक हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 को संपादित कर उक्त आराजीयात का हिब्बा अन्य संपतियों के साथ कर हिब्बा संपतियों के साथ–साथ इन आराजीयात का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था। यह हिब्बानामा अपीलांट के पक्ष में संयुक्त रूप से किया था व संपतियों का आधिपत्य भी संयुक्त रूप से दिया गया था। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 27.08.2019 को अरनोद में हो गई थी। उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान भूमियों का नामांतरण अपीलांट के नाम खोले जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार रेस्पोडेंट ने इन्ही आराजीयात खसरा नम्बरान भूमियों का नामांतरकरण वसीयतनामा दिनांक 20.04.2019 के आधार पर खोलने की प्रार्थना की। इस पर प्रकरण संख्या 01/2019 न्यायालय तहसीलदार, अरनोद में दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक

12.03.2020 को निर्णय पारित करते हुए उपरोक्त आराजीयात अपीलांट सलीम शाह व रेस्पोडेंट साबीर के नाम 1/2 व 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.03.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"हमने पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेज बयानात, इत्यादि का अध्ययन मनन किया इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकरण में प्रार्थी श्री सलीम शाह उसके पक्ष में दिनांक 16.10.2013 को निष्पादित हिब्बानामे को पूर्ण रूप से साबित नही कर पाये है एवं प्रार्थी श्री साबीर भी उसके पक्ष में दिनांक 20.04.2019 को निष्पादित वसीयतनामे को पूर्ण रूपेण साबित नही कर पाये है साथ ही दोनो ही दस्तावेज रजिस्टर्ड नही है। समस्त गुणावगुण व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय पारित करते है कि ग्राम अरनोद की आराजी संख्या 1191, 1196, 1198, 1199, 1227, 1381 एवं 1382 किता 7 रकबा 4.49 हैक्टेयर भूमि को सलीम शाह पिता सुबराती शाह निवासी अरनोद को 1/2 भाग व श्री साबीर पिता मोहम्मद हुसैन शाह निवासी मदारपुरा मंदसौर को 1/2 भाग राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट उपस्थित व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भुपेन्द्र भण्डारी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षों की बहस दिनांक 28.10.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट/रेस्पोडेंट्स संख्या–1 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत इंतकाल खुलवाने बाबत दिनांक 05.11.2019 को अपील में वर्णित आराजीयात हेतु पेश किया। इसी क्रम में अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2019 को तहसीलदार, अरनोद को उपरोक्त आराजीयात का नामांतरण हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 के आधार पर खोला जाने हेतु

पेश किया गया। उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, अरनोद द्वारा पटवारी हल्का, अरनोद से रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलांट का आधिपत्य है। इसके पश्चात दोनो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को प्रमाणित कराने के लिए वसीयत पत्र के गवाहान तथा अपीलांट सलीम ने हिब्बानामा के आधार पर हिब्बानामा के स्वयं व गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा बाद में तहसीलदार द्वारा अपीलांट्स व शपथकर्ता के बयानात भी कलमबद्ध किये गये। अपीलांट सलीम, गुलशन बी, श्री बाबूलाल पिता लालूराम मीणा, श्री शांतिलाल पिता देवा मीणा तथा एजाज अहमद पिता फतेह मोहम्मद मुसलमान के प्रस्तुत शपथ पत्र के कथनों को सही होना स्वीकार किया है। इस प्रकार इन सभी गवाहान के बयानात से दिनांक 16.10.2013 का हिब्बानामा पूर्णतया साबित किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी साबीर पिता मोहम्मद हुसैन शाह फकीर मुसलमान व उसके गवाह मोहम्मद हुसैन शाह पिता सुबराती शाह व वसीयत गवाहन के बयान भी लेखबद्ध किये गये है। उक्त गवाहान ने वसीयतनामा की तारीख का कोई भी जिक्र अपने शपथ पत्र व मौखिक कथनों में नहीं किया है इस कारण वसीयतनामा पूर्णतया साबित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.02.2020 को बहस सुनी गयी और दिनांक 12.03.2020 को निर्णय पारित करते हुए उपरोक्त आराजीयात अपीलांट सलीम शाह व रेस्पोडेंट संख्या–1 साबीर शाह के नाम 1/2 व 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया गया और निर्णय में यह भी दर्शाया गया कि हिब्बानामा व वसीयतनामा दोनो पक्ष साबित नहीं कर सके हैं तथा यह दोनो दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज भी नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्णय पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अपील संख्या 01/2020 से दर्ज की गयी। इस प्रकरण में रेस्पोडेंट को तलब किया गया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया तथा दौराने बहस अपीलांट्स ने लिखित बहस तथा साबीर पिता मोहम्मद हुसैन शाह फकीर के वकील ने न्यायालय को निवेदन किया कि जवाब दावा में जो कथन किये गये है उन्हीं को बहस स्वरूप माना जावें उसके बाद निर्णय की तारीख दिनांक 29.06.2020 नियत की गयी। दिनांक 19.06.2020 को अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

ने अपीलांट्स व रेस्पोडेंट को एक सूचना पत्र जारी कर अवगत कराया गया कि "उभय पक्ष यह साबित करे कि मृतक सुबराती शाह पिता छोटे शाह, निवासी अरनोद हस्ताक्षर करते थे या निशानी अंगुष्ठ करते थे।" तथा तहसीलदार, अरनोद से इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई" वे यह बतलावे कि वादग्रस्त आराजीयात मृतक सुबराती शाह पिता छोटे शाह मुसलमान जाति शाह फकीर निवासी अरनोद की स्वयं की उपार्जित संपति से क्रय की गयी थी या पैतृक संपति रही है।" इसके जवाब के लिए दिनांक 10.07.2020 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिए तारीख पेशी नियत की गयी। इसके पश्चात अपीलांट्स ने दिनांक 29.06.2020 को जारी सूचना पत्र का लिखित में जवाब पेश किया तथा जवाब के साथ सूची में दर्ज कर बतौर सबूत दस्तावेजी साक्ष्य यह साबित करने के लिए प्रस्तुत किये कि मृतक सुबराती शाह पिता छोटे शाह फकीर मुसलमान निवासी अरनोद प्रारंभ से ही दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करते रहे हैं और इसी दिनांक को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ में अपीलांट के उपस्थित गवाह अपीलांट्स सलीम पिता स्वं सुबराती शाह निवासी अरनोद तथा श्री अनिल जैन, स्टाम्प वेण्डर के बयान लिये तथा दोनो गवाहों से प्रस्तुत दस्तावेजों पर यह साबित किया गया कि मृतक सुबराती शाह पिता छोटे शाह फकीर मुसलमान निवासी अरनोद हमेशा हस्ताक्षर करते रहे है तथा एक बैंक की स्लीप भी प्रस्तुत की जो मृत्यु के पूर्व भी वे हस्ताक्षर करते रहे है। एक गवाह का शपथ पत्र पब्लिक नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा पेश किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने सूचना पत्र के संदर्भ में कोई जवाब दावा व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी बताया कि हिब्बा किसी मुस्लिम व्यक्ति या अन्य जाति के व्यक्ति को मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाता सकता है। हिब्बा के लिए मुख्यतः यह देखा जाना चाहिए कि दानदाता द्वारा दान देने की घोषणा तथा अदाता द्वारा दान लेने की स्वीकृति तथा दाता द्वारा अदाता को संपतियों का कब्जा सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। मुस्लिम विधि के अनुसार हिब्बानामा का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं माना गया है क्योंकि संपतियों का अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123, 129 सपठित अधिनियम 1908 की धारा 17, 49 के तहत मुस्लिम विधि के तहत अचल संपतियों का हिब्बा (दान) किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक नहीं है। दान की विधिक मान्यता हेतु लिखतम

आवश्यक नहीं है। यह भी निर्धारित है कि किसी मुस्लिम द्वारा निष्पादित दान विलेख दान (हिब्बा) रचना करने या तैयार करने का लिखतम नहीं है बल्कि साक्ष्य का अंत मात्र है। विलेख दाता द्वारा की गयी घोषणा का एक प्रारूप है न कि पंजीयन की अधिनियम धारा 17 के तहत यथा अनुध्यायत की लिखतम हैं। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 16.10.2013 का हिब्बानामा लिखा गया हैं जिसको अपीलांट्स के स्वयं व गवाह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देकर प्रमाणित किया है इससे भिन्न अपीलांट्स का प्रकरण नहीं है। यही तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलांट्स ने पूर्णतया साबित किया हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हिब्बानामा साबित नहीं माना हैं और अपने निर्णय में यह दर्शाया है कि हिब्बानामा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया है। प्रार्थी साबीर ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 20.04.2019 का वसीयतनामा जो सुबराती शाह पिता छोटे शाह मुसलमान ने उसके पक्ष में संपादित किया हैं। प्रार्थी ने वसीयत पत्र को साबित नहीं किया हैं क्योंकि किसी भी गवाह ने यह वसीयतनामा इस दिनांक को लिखा गया यह साबित नहीं किया हैं। यहां न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि दिनांक 16.10.2013 के हिब्बानामा के आधार पर संपति का हस्तांतरण अपीलांट प्रार्थी को हो चूका था इस कारण सुबराती शाह पिता छोटे शाह मुसलमान को वसीयतनामा उन्हीं संपतियों के बाबत लिखने का अधिकार नहीं था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को व वसीयत पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं माना है, यह सत्य है। अपीलीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ ने हस्तगत अपील में दिनांक 29.06.2020 को यह सूचना चाही थी कि मृतक सुबराती शाह हस्ताक्षर करता था या निशानी अंगुष्ट। अपीलांट ने इस सूचना पत्र का जवाब दिया हैं तथा साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये हैं तथा स्वयं अपीलांट व गवाहान के बयान प्रस्तुत कर हिब्बानामा तथा अन्य दस्तावेज पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर थे वे प्रदर्शित कराये गये है जो पत्रावली में मौजूद है, असल दस्तावेज प्रार्थी के पास है जिससे उक्त दस्तावेजों पर प्रदर्श डाला गया हैं। अपीलांट ने यह साबित किया है कि मृतक सुबराती शाह के हस्ताक्षर वसीयत पत्र पर कुटरचित है तथा वसीयतनामा भी कुटरचित तैयार किया गया है और प्रार्थी ने सूचना पत्र दिनांक 20.06.2020 को कोई जवाब नहीं दिया है और न ही अंगुष्ट निशानी के कोई दस्तावेज

न्यायालय में प्रस्तुत किये है जिससे यह साबित कर सके कि मृतक सुबराती शाह निशानी अंगुष्ठ करते थे। इससे यह साबित है कि वसीयत नामा कुटरचित दस्तावेज हैं इस आधार पर प्रार्थी मुस्लिम विधि के अनुसार कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12.03.2020 के निर्णय में तहसीलदार, अरनोद ने दोनों के प्रार्थना पत्रों को खारिज नहीं किया है और लेखों को साबित नहीं माना हैं व दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं हैं तथा प्राकृतिक कानून व सिद्धांत के आधार पर प्रार्थी साबीर पिता मोहम्मद हुसैन शाह निवासी मदारपुरा, मंदसौर को वादग्रस्त आराजी में 1/2 भाग देकर विधिक भुल की हैं क्योंकि इसी निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक सुबराती शाह के विधिक वारीसान बाबत दर्शाया हैं जिसमें मोहम्मद शाह, सलीम शाह तथा इजलाल शाह तथा शमा बी को पुत्र व पुत्री दर्शाया जिसमें से मोहम्मद हुसैन पिता सुबराती शाह फकीर का बयान प्रार्थी साबीर शाह की ओर से बयान कराये गये हैं जब मोहम्मद हुसैन जिन्दा है तो उसके पुत्र को अधीनस्थ न्यायालय में किस प्रकार 1/2 भाग का नामांतरण खोले जाने का आदेश किया हैं यह एक प्रश्नचिन्ह हैं। इसे भी अपील का निर्णय करते समय देखा जाना चाहिए यह मुस्लिम विधि के अनुसार सहीं नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय RLW 1986, SCCD 650, SCCD 658, SCC 189 & SCC 618 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार कर तहसीलदार, अरनोद का निर्णय दिनांक 12.03.2020 को अपास्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 1/2 भाग का नामांतरण खोलने का आदेश निरस्त किया जाने तथा अपीलांट का नाम वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज करने की आज्ञा फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट सलीम शाह ने एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर आवेदन किया है कि ग्राम अरनोद में कृषि भूमि अराजी संख्या 1191, 1196, 1198, 1199, 1227, 1381 एवं 1382 कुल किता 7 रकबा 4.49 हैक्टेयर भूमि जो कि उसके पिता सुबराती पिता छोटे शाह फकीर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उसके पिता की मृत्यु दिनांक 27.08.2019 को हो चुकी है। अपीलांट के पिता के जीवित रहते हुए उनके द्वारा दिनांक 16.10.2013 को एक हिब्बानामा लिख कर ग्राम अरनोद की उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का

हिब्बानामा में उल्लेख किया हुआ है। उक्त वर्णित आराजीयात को उक्त हिब्बानामा के आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या–1 साबीर द्वारा भी एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनोद की उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार सुबराती शाह द्वारा दिनांक 20.04.2019 को एक वसीयतनामा रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। सुबराती शाह की दिनांक 27.08.2019 को मृत्यु हो चुकी है, इस कारण वसीयतनामा के आधार पर ग्राम अरनोद की उक्त वर्णित कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 साबीर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी अरनोद से वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी अरनोद द्वारा दिनांक 28.11.2019 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपीलांट सलीम शाह ने उसके पक्ष में निष्पादित हिब्बानामे को साबित करने के लिए शांतिलाल, एजाज मोहम्मद, बाबुलाल एवं गुलशन बी के बयान करवाए। इसी प्रकार वसीयतनामे को साबित करने के लिए मोहम्मद हुसैन, साबीर शाह, जावेद, अजहर व यूसूफ मंसूरी के बयान करवाए। पत्रावली को देखने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रकरण में अपीलांट सलीम शाह उसके पक्ष में निष्पादित हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 को साबित नहीं कर पाए एवं रेस्पोडेंट संख्या–1 साबीर भी उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 20.04.2019 को साबित नहीं कर पाए साथ ही दोनों ही दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है एवं इस आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात को 1/2 अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या–1 के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज एवं विधि के अनरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं होने के आधार पर एवं रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा वसीयत साबित नहीं करने के आधार पर उसका आवेदन स्वीकार नहीं करने में भूल की है क्योंकि कानूनन वसीयतनामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। वसीयतनामा सादे कागज पर लिखा हुआ होने एवं उसके अनुप्रमाणन गवाह द्वारा अनुप्रमाणित कर देने से साबित हो जाता है। इस प्रकरण में वसीयत के दोनों गवाहान ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयतनामा सुबराती शाह द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित करने की गवाही दी है। वसीयतनामा किन परिस्थितियों में लिखा गया उनका

वर्णन वसीयतनामा में है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। वसीयतनामा दिनांक 20.04.2019 नोटेरी से प्रमाणित कराया हुआ है, इस प्रकार वसीयत का फर्जी होना भी संभव नहीं है एवं वसीयतनामा वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। इस प्रकार वसीयत के सभी आवश्यक तत्व वसीयतनामा दिनांक 20.04.2019 में मौजूद है जिसे वसीयत के दोनो गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित होने का बयान दिया है। इस कारण रेस्पोडेंट संख्या–1 के आवेदन को स्वीकार करते हुए सुबराती शाह की उक्त वर्णित समस्त आराजीयात संपूर्ण रेस्पोडेंट संख्या–1 के नाम दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को देना चाहिए था। इसी प्रकार हिब्बानामा दिनांक 16.10.2012 जो निष्पादित किया गया है वह विधि के अनुरूप नहीं है। हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 रजिस्टर्ड नहीं है, इस कारण साक्ष्य में ग्राह नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय ने हिब्बानामा रजिस्टर्ड नहीं होने से अपीलांट का आवेदन स्वीकार नहीं किया जो सही है। क्योंकि मुस्लिम विधि में कोई संपति किसी को दान दी जाती है उसी वक्त कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाता है एवं कब्जा भी उसी वक्त दिया जाता है तो उस दान (हिब्बा) विलेख का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ऐसा ही सिद्वांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय हाफीजा बीबी एवं अन्य बनाम शेख फरीद आदेश दिनांक 05.05.2011 में निष्पादित किया है। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मुस्लिम विधि में यदि कोई व्यक्ति दान उसी वक्त कर रहा है एवं दान का दस्तावेज भी उसी वक्त लिख रहा है एवं कब्जा भी उसी वक्त सिपुर्द कर रहा है तो ऐसे दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी पर बंधनकारी है। प्रस्तुत प्रकरण में भी हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 को लिखा गया है एवं हिब्बा (दान) भी उसी दिनांक 16.10.2013 को दिया गया है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हिब्बानामा 16.10.2013 का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है एवं जब 16.10.2013 का हिब्बानामा रजिस्टर्ड नहीं है तो साक्ष्य में देखा ही नहीं जा सकता है एवं ऐसे दस्तावेज से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त हिब्बानामा की विश्वसनियता भी संदिग्ध है क्योंकि यदि अपीलांट के अनुसार उक्त हिब्बानामा से उसे उक्त वर्णित आराजीयात का मालिक सुबराती शाह ने दिनांक 16.10.2013 के हिब्बानामा से बनाया है एवं

कब्जा सिपुर्द कर दिया तो अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजीयात का नामांतरण उसी वक्त अपने नाम पर क्यों नहीं करा दिया। क्योंकि अपीलांट के अनुसार मुस्लिम विधि अनुसार हिब्बेनामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है तो हिब्बानामा 16.10.2013 के अनुसार तो वह विवादग्रस्त आराजीयात का मालिक दिनांक 16.10.2013 को ही बन गया था। तो अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजीयात का नामांतरण अपने नाम से खोलने के लिए सुबराती शाह की मृत्यु होने का इंतजार क्यो किया। इससे साबित होता है कि अपीलांट को सुबराती शाह ने कभी भी हिब्बानामा नहीं लिखा एवं उनकी मृत्यु तक उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा भी सुबराती शाह का था। इसी प्रकार सुबराती शाह ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि मेरा पुत्र सलीम शाह द्वारा मेरी निम्न जायदाद को लेकर मुझे पिछले काफी समय से प्रताडित किया जा रहा है जिसके संबंध में मेरे द्वारा उनके विरूद्ध रिपोर्ट भी की गई है और उनको संपति में बेदखल कर दिया है और मेरी मृत्यु उपरांत मेरी संपति को लेकर मेरे पुत्रगण के द्वारा विवाद न किया जावे इसलिये प्रथम व अंतिम वसीयतनामा वसीयतग्रहिता साबीर जो मेरा पोता है के हक में रूबरू गवाहान के समक्ष निष्पादित कर रहा हूं। इससे स्पष्ट है कि वसीयत दिनांक 20.04.2019 एवं सुबराती शाह की मृत्यु तक उक्त कृषि भूमि पर कब्जा वसीयतकर्ता का ही था तो अपीलांट का कब्जा होना गलत है। पटवारी ने भी गलत रिपोर्ट पेश की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हिब्बानामा रजिस्टर्ड नहीं होने से साक्ष्य ग्राह नहीं है, प्रकरण की परिस्थितियों में हिब्बानामा का निष्पादन संदिग्ध है, वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा अपीलांट का नहीं है जबकि वसीयतनामा दिनांक 20.04.2019 रेस्पोडेंट संख्या–1 ने दोनों अनुप्रमाणित गवाहों के बयान कराकर साबित किया है, कानूनन वसीयतनामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है एवं वादग्रस्त आराजी पर मृतक सुबराती शाह का वसीयत निष्पादन की दिनांक 20.04.2019 को एवं मृत्यु दिनांक 27.08.2019 तक कब्जा रहा है जो प्रकरण के तथ्यों से साबित होता है एवं सुबराती शाह की मृत्यु के पश्चात वसीयत के प्रभाव में आने से वसीयत के आधार पर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या–1 का साबित है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय CIVIL APPEAL NO. 1714 OF 2005 का हवाला प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेंट संख्या–1 का आवेदन स्वीकार करते हुए वादग्रस्त संपूर्ण

आराजीयात का नामांतरण खोलने का आदेश पारित कराने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.2020 को निरस्त कर अपील अपीलांट्स खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलांट्स खारिज करने बाबत निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनोपकथन, बहस व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयानात के विश्लेषण व परिशीलन के बाद हम सर्वप्रथम इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि ग्राम अरनोद में खाता संख्या 822 कुल 7 आराजी रकबा 4.49 हैक्टेयर भूमि मृतक सुबराती पिता छोटे शाह फकीर के नाम दर्ज रेकर्ड थी, जो उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। सुबराती शाह खातेदार की मृत्यु दिनांक 27.08.2019 को हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार में 3 पुत्र मोहम्मद हुसैन, सलीम शाह एवं इस्लाम शाह व एक पुत्री शम्मा बी है तथा उसकी पत्नी का देहान्त पूर्व में ही हो चुका है। खातेदार सुबराती की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सलीम शाह द्वारा तहसीलदार अरनोद के यहां दिनांक 13.11.2011 को हिब्बानामा (दान या उपहार) दिनांक 16.10.2013 के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमियों को अपने पुत्र सलीम शाह व उसकी पत्नी गुलशन बी के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। इसी प्रकार खातेदार सुबराती शाह के पुत्र मोहम्मद हुसैन के पुत्र अर्थात् खातेदार सुबराती के पौत्र साबीर द्वारा एक वसीयत दिनांक 20.04.2019 के आधार पर उक्त कृषि भूमियों को उसके नाम दर्ज किये जाने का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों के मध्य विवाद के दृष्टिगत उभय पक्षों की साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 12.03.2020 से हमारे द्वारा उपर विवेचित अनुसार निर्णय पारित करते हुए सुबराती की विवादित भूमियों को सलीम शाह (पुत्र) को 1/2 हिस्सा व साबीर शाह (पौत्र) को 1/2 भाग देने का ओदश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 12.03.2020 के विरूद्ध सलीम शाह (खातेदार के पुत्र) द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहां प्रथम अपील दिनांक 17.03.2020 को पेश की गई, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा सुनवाई कर साक्ष्य भी ली गई तथा कतिपय बिन्दुओं पर

जांच/साक्ष्य भी तलब की गई। अन्ततोगत्वा अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा विवादित नामान्तकरण पर स्वयं के सुनवाई का अधिकार नहीं मानते हुए अपने आदेश दिनांक 15.07.2020 से इस प्रकरण को इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया एवं बाद स्थानान्तरण इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने से दिनांक 27.07.2020 से उभय पक्षों की सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.03.2020 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। तहसीलदार अरनोद द्वारा अपने निर्णय में यह विवेचन किया है कि हिब्बानामा एवं वसीयत प्रमाणित नहीं करवाये जा सके एवं दोनों दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है, अतएवं इन भूमियों को सलीम शाह (पुत्र) एवं साबीर शाह (पौत्र) के मध्य 1/2–1/2 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिब्बानामा व वसीयत को प्रमाणित होना क्यों नहीं माना एवं उक्त दस्तावेज का पंजीयन होना किन प्रावधानों के तहत अनिवार्य है, इस पर कोई विवेचना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि वसीयत व हिब्बानामा को प्रमाणित नहीं माना तो इस स्थिति में प्राकृतिक उत्तराधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत खातेदार के पर्सनल लॉ के अनुसार विनिश्चित किया जाना होता है अर्थात् तहसीलदार के समक्ष मृतक खातेदार के तीन पुत्र व एक पुत्री होना या अन्य कौन वारीस उपलब्ध है एवं मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के तहत प्राकृतिक उत्तराधिकार किनको प्राप्त होने से, इस पर निर्णय किया जाना था, परन्तु तहसीलदार द्वारा अज्ञात कारणों से पुत्र जिसने हिब्बानामा प्रस्तुत किया, उसे 1/2 और पौत्र जिसने वसीयत पेश की, उसे 1/2 दे दिया। इसमें मृतक खातेदार के मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार भी उत्तराधिकार का विनिश्चयन नहीं किया गया है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय न तो तथ्यपरक है न ही विधिपूर्ण है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय उपरोक्तानुसार निसन्देह अपास्त योग्य है एवं अपास्त किया जाता है।

अब हमारी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों/रिकार्ड एवं तथ्यों व विधि के आधार पर प्रकरण में मृतक

खातेदार सुबराती की कृषि भूमियों का उसकी मृत्यु पश्चात् किस प्रकार उसकी कृषि भूमियां किन्हें प्राप्त होगी, इस पर आद्योपन्त विवेचन करना उचित होगा।

1. सर्वप्रथम हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष पेश किये गये हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 पर, जो कि खातेदार सुबराती द्वारा अपने पुत्र सलीम शाह एवं उसकी पत्नी गुलशन बी के पक्ष में किया गया है, उस पर विचार करते हैं। उक्त हिब्बानामा 100/–रू. के स्टाम्प पर होकर उस पर सुबराती हिब्बाकर्ता एवं हिब्बागृहिता सलीम शाह व गुलशन बी के फोटोग्राफ लगे हैं तथा सुबराती शाह व सलीम शाह के हस्ताक्षर हैं तथा गुलशन बी की अंगुठा निशानी है। उक्त 100/–रू. का स्टाम्प दिनांक 11.10.2013 को सुबराती के हस्ताक्षर से स्टाम्प वेण्डर से प्राप्त किया गया है तथा स्टाम्प वेण्डर के भी इस बाबत् कथन/साक्ष्य है कि स्टाम्प सुबराती शाह को ही जारी हुआ है। मुस्लिम कानून के अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय हफीजा बी बनाम शेख फरीद के प्रकरण 2011 आर.एल. डब्ल्यू. पेज 44 के अनुसार, जो कि उभय पक्षों द्वारा **Rely** कर न्यायिक दृष्टान्तों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार मुस्लिम कानून में हिब्बानामा का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, जो कि सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार अन्यथा आवश्यक होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस प्रकरण के निर्णय में व्यक्त रूप से यह लिखा है कि मुस्लिम कानून के अनुसार हिब्बा लिखित होना भी आवश्यक नहीं है तथा हिब्बा होने के लिए सिर्फ यह आवश्यक होती है जो दान अथवा उपहार दे रहा है, उसके द्वारा घोषणा की जाये तथा दान प्राप्तकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाये तथा उक्त दान दी गई वस्तु का आधिपत्य हिब्बा प्राप्तकर्ता/उपहारगृहिता को प्राप्त हो गया हो। ऐसी स्थिति में मौखिक दान का मान्य होना एवं यदि उसे लिख दिया गया है तो उसके पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि खातेदार सुबराती शाह द्वारा दान देने की लिखित घोषणा की गई है। दानगृहिता द्वारा दान/उपहार हिब्बा प्राप्त करने के हस्ताक्षर किये गये हैं तथा राजस्व कार्मिक पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.11.2019 एवं 11.11.2019 में यह स्पष्ट किया है कि विवादित आराजीयात पर हिब्बागृहिता सलीम शाह का कब्जा है तथा यह

लिखा है कि मृतक की सेवा मृत्युपर्यन्त सलीम शाह व उसकी पत्नी गुलशन बी द्वारा ही गई है। सुबराती शाह का अंतिम संस्कार व फातिया चेहलम का कार्यक्रम भी सलीम शाह द्वारा ही किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिब्बा खातेदार द्वारा किया गया, जिसे किया गया उसकी स्वीकारोक्ति है तथा हिब्बा की क्रियान्विति भी हो चुकी है तथा हिब्बा का पंजीयन होना वांछनीय नहीं है। इसके साथ ही हिब्बा पर गवाहान शांतिलाल, एजाज मोहम्मद एवं बालूलाल तीनों गवाह, जो कि स्थानीय ही है, उनके द्वारा व्यक्त रूप से अधीनस्थ न्यायालय में सुबराती शाह द्वारा उक्त हिब्बानामा की तस्दीक की गई है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा हिब्बा के बारे में एक अन्य आपत्ति यह व्यक्त की गयी है कि यदि हिब्बा 2013 में हो चुका था तो उसका राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठि क्यों नहीं करवायी गयी। पटवारी की रिपोर्ट से, जिसे कदापि सापेक्ष अथवा हितबद्ध नहीं माना जा सकता, उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया है कि कब्जा हिब्बागृहिता का है, तद्नुसार हिब्बानामा के आधार पर दानदाता एवं गृहिता की स्वीकारोक्ति एवं कब्जा होने के बाद राजस्व रेकर्ड में उसकी प्रविष्ठि होना अथवा नहीं होना गौण है क्योंकि राजस्व रेकर्ड सिर्फ स्वत्व की एक साक्ष्य मात्र है। स्वत्व सृजित नहीं करता अर्थात् यदि विधिक विक्रय किसी के पक्ष में उपलब्ध हो एवं राजस्व रेकर्ड में उसकी पृविष्ठि विलम्बित हो तो इसके आधार पर क्रेता का स्वत्व अवसायित नहीं होता। तद्नुसार रेस्पोंडेण्ट का यह उज्र भी उचित नहीं है। हम उक्त हिब्बानामा की वैधानिकता एवं विश्वसनीयता पर उपरोक्तानुसार मुस्लिम कानून एवं प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार का संशय नहीं पाते।

2. अब हम खातेदार सुबराती के पुत्र मोहम्मद हुसैन के पुत्र साबीर अर्थात् सुबराती के पौत्र साबीर द्वारा पेश की गई वसीयत दिनांक 20.04.2019 पर चर्चा करते हैं। यह वसीयत सादे कागज पर की गई है तथा उक्त वसीयत पर साबीर शाह एवं सुबराती के फोटोग्राफ लगे हुए हैं परन्तु सुबराती के अंगुठा निशानी की गई है तथा वसीयत के गवाहान युसुफ एवं जावेद मंदसौर के निवासी है तथा वसीयत भी मंदसौर के नोटेरी पब्लिक द्वारा निष्पादित की गई है। अपीलीय न्यायालय में उपलब्ध पत्रावली अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उभय पक्षों से यह जानकारी चाही गयी कि सुबराती

शाह हस्ताक्षर करते थे अथवा अंगुठा निशानी लगाते थे। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् अपने विस्तृत जबाब के साथ निम्न कुल 14 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सुबराती शाह हस्ताक्षर करते थे, अंगुठा निशानी नहीं लगाते थे –

1. हिब्बानामा दिनांक 16.10.2013 द्वारा सुबराती शाह बहक अपीलाण्ट्स। जिस पर खत पर व क्रम स्टाम्प पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है। यह स्टाम्प दिनांक 11.10.2013 को क्रय किया हुआ है।
2. इकरारनामा घोषणा जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है। यह स्टाम्प दिनांक 10.10.2013 को क्रय किया गया है।
3. उक्त दोनों स्टाम्प सुबराती शाह ने श्री अनिल पिता जयन्तीलाल से क्रय किये हैं जिसका शपथ–पत्र एवं स्टाम्प के अन्य गवाहान के शपथ–पत्र संलग्न है।
4. एक प्रार्थना–पत्र सुबराती शाह द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ को विरूद्ध गेन्दकुंवर के प्रस्तुत किया गया है जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है। जो दिनांक 28.06.2012
5. एक प्रार्थना–पत्र सुबराती शाह ने श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ को पटवारी अरनोद के विरूद्ध पेश किया गया। जो दिनांक 03.11.2010 को प्रस्तुत हुआ है।
6. श्रीमान् नायब तहसीलदार साहब प्रतापगढ़ को आ.नं. 1552/1023 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का इन्तकाल खुलवाने पेश किया। जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है।
7. नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र थाना अधिकारी को प्रस्तुत करने है सुबराती शाह ने तैयार कराया था जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है।
8. गिरवे नामा मकान का सुबराती शाह ने बहक श्री धर्मचन्द जैन के पक्ष में लिखा कर पंजीयन दिनांक 26.12.1966 को कराया गया।
9. हाजरी माफीह का प्रार्थनापत्र साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने बाबत दिनांक 12.05.1977 को तैयार कराया गया था जो पेश नहीं हुआ है जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है।
10. हज पर जाने हेतु पासपोर्ट बनाया गया जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है।
11. खाली स्टाम्प 25–25 पैसे के सुबराती शाह ने क्रय किये थे जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है।
12. कर विभाग को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र जिसमें वार्षिक आय की घोषणा सुबराती शाह ने की जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है। जो दिनांक 27.08.2018 को पेश किया गया।
13. इनकम टेक्स विभाग द्वारा जारी आई कार्ड दिनांक 01.01.2015 जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है।

14. भारती स्टेट बैंक शाखा अरनोद के नाम रूपया खाता से निकलवाने हेतु सुबराती शाह ने तैयार कराया था जिस पर सुबराती शाह के हस्ताक्षर है मगर इसको बैंक को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सभी फोटोस्टेट है।

3. खातेदार सुबराती द्वारा मंदसौर जाकर वसीयत निष्पादित करना एवं कोई भी स्थानीय साक्ष्य उक्त वसीयत पर नहीं होने भी संदेह पैदा करते हैं। इन सबसे इतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार कोई भी मुस्लिम अपनी सम्पत्ति के 1/3 भाग से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता एवं यदि 1/3 भाग से अधिक की वसीयत करता है तो इस हेतु अन्य सभी वारीसान की सहमति वांछनीय होती है। इस प्रकरण में यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि तथाकथित वसीयतगृहिता साबीर को 1/3 हिस्से की ही वसीयत की गई हो अर्थात् मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार यह वसीयत विधिक नहीं है तथा हस्ताक्षर एवं गवाहों की विश्वसनीयता भी पूर्णतया प्रमाणित नहीं है। जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि दिनांक 16.10.2013 को जब हिब्बानामा होकर हस्ब राजस्व अधिकारियों के रेकर्ड, उसकी क्रियान्विति भी हो चुकी है अर्थात् जब सुबराती शाह द्वारा वर्ष 2013 में ही उक्त कृषि भूमियों का हिब्बानामा किया जा चुका है तथा वह क्रियान्वित भी हो चुका है तो अब वह सम्पत्ति सुबराती की रहती ही नहीं है तो उसकी वसीयत की कोई उपादेयता/विधिकता ही नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में जब रेस्पोंडेण्ट साबीर वसीयत के आधार पर पूर्ण कृषि भूमि की वसीयत अपने पक्ष में होना मानता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे 1/2 हिस्सा ही दिया जाता है तो उसे यदि वह उक्त वसीयत को सत्य मानता है जो पूर्ण कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए उसे भी अपील/काउण्टर अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो उसके द्वारा नहीं की गई है। हम यह पाते हैं कि उपरोक्तानुसार उक्त वसीयत न तो विधिक है न ही विश्वसनीय।उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय तथ्यों एवं विधि के आलोक में त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोंडेण्ट द्वारा पेश की गई वसीयत की विधिकता एवं विश्वसनीयता नहीं होने के कारण तथा पूर्व से ही हिब्बानामा का वैधानिक एवं विश्वसनीयता निष्पादित हो जाने के कारण व हिब्बानामा की विश्वसनीयता एवं वैधानिकता

को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्तानुसार विवेचित निर्णय के आलोक में मान्यता देना उचित समझते हैं एवं तद्नुसार मृतक खातेदार सुबराती शाह की विवादित आराजीयात ग्राम अरनोद के खाता संख्या 822 कुल आराजीयात 7 रकबा 4.49 हैक्टेयर को मृतक खातेदार सुबराती शाह के हिब्बा के आधार पर उसके पुत्र सलीम शाह व उसकी पुत्रवधु गुलशन बी के नाम नामान्तरण दर्ज करने का आदेश देते हैं। अपील अपीलाण्ट उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर